Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

सेवा में

1. सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (हरियाणा राज्य में)।
2. सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज (महिला), राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), (हरियाणा राज्य में)।
3. सभी प्रधानाचार्य, प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (हरियाणा राज्य में)।
4. प्रधानाचार्य–कम–संयुक्त निदेशक, राजकीय आई0टी0ओ0टी0, रोहतक।

यादी कमांक टी–4/पी0एम0एस0/2015/ 3013
दिनांक: 31-12-15

विषयः– छात्रवृति के पात्र छात्र/छात्राओं की हाजरी बायोमैट्रिक सिस्टम द्वारा लगवाने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि सरकार की हिदायतों के अनुसार भविष्य में छात्र/छात्राओं को छात्रवृति आधार लिकंड बायोमैट्रिक हाजरियों के आधार पर ही स्वीकृत होगी। सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज (महिला), राजकीय/प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा प्रधानाचार्य–कम–संयुक्त निदेशक, राजकीय आई0टी0ओ0टी0, रोहतक को निर्देश दिए जाते है कि छात्रवृति के पात्र छात्र/छात्राओं की हाजरी तुरन्त प्रभाव से आधार लिकंड बायोमैट्रिक सिस्टम से लगवाना सुनिश्चित करें तथा इस बारे सभी छात्र/छात्राओं को उनके अनुदेशको/वर्ग अनुदेशकों के माध्यम से तथा सार्वजनिक सूचना (नोटिस बोर्ड) के माध्यम से सूचित करें कि यदि उनके द्वारा आधार लिकंड बायोमैट्रिक माध्यम से हाजरी नही लगाई गई तो उन्हें भविष्य में छात्रवृति वितरित नहीं होगी।

सभी संस्थानों के मुखियों को पुनः निर्देश दिये जाते है कि संस्थान मे तुरंत आधार लिकंड बायोमैट्रिक सिसटम लागू करें। यदि संस्थान में आधार लिकंड बायोमैट्रिक सिसटम स्थापित न करने के कारण छात्रवृति के पात्र छात्र/छात्राओं की बायोमैट्रिक हाजरी नहीं लगी तथा छात्र/छात्राओं को छात्रवृति वितरित नहीं हो सकी तो इसके लिए सरकारी संस्थानों के मुख्यि तथा प्राईवेट संस्थानों की मैनेजमैन्ट सीधे तौर पर जिम्मेवार होगी तथा भविष्य में छात्रवृति की भरपाई उनके द्वारा करने बारे निर्देश दिये जा सकते है।

कृप्या इसे गंभीरता से लेते हुए अपने संस्थानों में तुरंत आधार लिकंड बायोमैट्रिक अटैण्डैंस सिस्टम स्थापित करवायें तथा सभी छात्रवृति के पात्र छात्र/छात्राओं की हाजरी आधार लिकंड बायोमैट्रिक सिस्टम के आधार से लगवायें।

आदेशों की पालना दृढता से की जाए।

31/12/15
सहायक निदेशक (प्रशिक्षण–III)
कृतेः महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

पृ0क0 टी–4/पी.एम.एस/एस.सी/2015–16/ 3014 दिनांकः 31/12/15

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती हैः–

1. निदेशक, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. जिला स्तर के सभी प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अम्बाला शहर, भिवानी, फरीदाबाद, भोडियाखेडा (फतेहाबाद), गुडगांव, हिसार, झज्जर एट गुढा जीन्द, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ, फिरोजपुर झिरका (मेवात), पलवल, पंचकूला, पानीपत, रिवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत तथा यमुनानगर। आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त अनुसार छात्रवृति के पात्र छात्र/छात्राओं की हाजरी तुरन्त प्रभाव से आधार लिकंड बायोमैट्रिक सिस्टम से लगवाना सुनिश्चित करें।
3. सहायक निदेशक प्रशिक्षण–4। कृपया प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की उक्त अनुसार छात्रवृति के पात्र छात्र/छात्राओं की हाजरी तुरन्त प्रभाव से आधार लिकंड बायोमैट्रिक सिस्टम से लगवाना सुनिश्चित करें।
4. सैन्ट्रल डी0डी0ओ0/नोडल अधिकारी,(पी0एम0एस0),मुख्यालय पर।
5. सहायक निदेशक (योजना)।
6. नोडल अधिकारी वबैसाईट। मुख्यालय पर वबैसाईट पर डालने हेतु।

31/12/15
सहायक निदेशक (प्रशिक्षण–III)
कृतेः महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।